मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल–462004

(70)

भोपाल, दिनांक 17-4-2015

क्रमांक एफ–58/7/2015/19/यो एतद् द्वारा राज्य शासन निर्माण कार्यो की निविदाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निविदा पूर्व अर्हता (Pre-Qualification) की शर्तो का युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लेता है:–

1. निविदा पूर्व अर्हता निम्न परिस्थितियों में रखी जायेगी–
   (i) भवन निर्माण कार्य के संबंध में रूपये 2 करोड़ से अधिक की निविदा में।
   (ii) भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यो में रूपये 5 करोड़ से अधिक की निविदा में।
2. भौतिक अनुभव के लिए निविदा पूर्व अर्हता के निर्धारण हेतु ऐसे आयटम्स ही लिये जाएंगे जिनकी लागत कुल निविदा लागत का 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
3. भौतिक अर्हता के निर्धारण हेतु निविदा पूर्व अर्हता में मौलिक स्वरूप के आयटम ही शामिल किये जाएंगे। विशिष्ट प्रकार के आयटमों को निविदा पूर्व अर्हता में शामिल नहीं किया जाएगा, उदाहरण स्वरूप–
   (i) Excavation and earth work in all types of strata
   (ii) All types of RCC and masonry work आदि मूल स्वरूप के आयटम ही निविदा पूर्व अर्हता में शामिल किये जाएंगे।
4. निविदा पूर्व अर्हता की जांच करते समय निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में यदि आवश्यक हो तो निविदाकार से या दस्तावेज जारी करने वाली अथॉरिटी (Authority) से स्पष्टीकरण (Clarification) अथवा पूरक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त किये जा सकेंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी नया दस्तावेज, जो निविदाकार ने निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया है, को पृथक से प्राप्त नहीं किया जाएगा और न ही उस पर कोई विचार किया जाएगा।
5. अमानत राशि (E.M.D.) में किसी भी कमी के संबंध में निविदाकार से न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकेगा और न ही अमानत राशि में किसी भी कमी को दूर करने का अवसर दिया जाएगा।
6. विशेष परिस्थितियों में बिन्दु क्रमांक (1) एवं (2) में यदि छूट देने की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग/उपक्रम के प्रमुख अभियंता प्रकरण विशेष में कारण लिपिबद्ध करते हुए छूट दे सकेंगे।

म0प्र0 के राज्यपाल के नामसे
तथा आदेशानुसार

15/4/2015
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ–58/7/2015/19/यो 2107
भोपाल दिनांक 17/04/2015

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय कल्याण एवं विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/लोक निर्माण मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

15/4/2015
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

Patil/C.P.A -SACiV-56